



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes  
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं. NCST/DEV-2482/MH/148/2023-RO-BH

दिनांक: 15.07.2024

सेवा में,


श्री जयराम आसराजी देवकर,  
रा. खंडाला,  
तहसील श्रीरामपुर,  
जिला अहमदनगर,  
महाराष्ट्र  
फोन नं. 9226578972

विषय: आवेदक के पूर्वजों की भूमि को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कब्जा करने के सम्बंध श्री जयराम आसराजी देवकर, रा. खंडाला, तहसील श्रीरामपुर, जिला अहमदनगर (महाराष्ट्र) का दिनांक 14.11.2023 का प्राप्त अभ्यावेदन।

महोदय,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग के माननीय सदस्य (श्री जाटोतु हुसैन) ने आपके मामले में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ दिनांक 23.07.2024 को अपराह्न 03:00 बजे आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में बैठक तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से सूचित कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

  
(सूरत सिंह)  
निदेशक

ई-मेल: [researchofficer-esdw@ncst.nic.in](mailto:researchofficer-esdw@ncst.nic.in)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

- माननीय सदस्य महोदय (जा. हु.) के निजी सचिव।
- एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।